15. महिला एवं बाल विकास

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि 3115.83 लाख
- राज्य आयोजना मद 3115.83 लाख
- केन्द्रीय योजना मद शुन्य

लक्ष्य एवं उदेश्य

- 0–3 वर्ष के बच्चो में अतिकुपोषण के स्तर में कमी लाना।
- 0–5 वर्ष के बच्चो में अतिकुपोषण के स्तर में कमी लाना।
- जन्म के उपरान्त 1 घण्टे के अन्तराल में स्तनपान एवं 6 माह तक केवल स्तनपान के स्तर को बढ़ाना।
- बच्चे की उम्र के 6 माह पूरे होने पर उपरी आहार देने की प्रक्रिया प्रारम्भ लाना।
- नवजात एंव षिषु की पोषण एंव देखभाल पद्धतियों में सुधार लाना।
- प्रतिमाह पोषण एंव मातृ–षिषु स्वास्थ्य दिवस का नियमित आयोजन कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी देना एंव वातावरण निर्माण।
- अतिकुपोषित बच्चो की पहचान एंव प्रबंधन तंत्र को विकसित करना।
- सभी बच्चों को नियमित वजन लेकर वृद्धि निगरानी तालिकाओं का संधारण करना।
- पूरक पोषाहार का नियमित वितरण एवं पोषाहार के रूप में स्थानीय खाद्यान्न, सब्जियों, दालों आदि का उपयोग बढ़ाना।
- 0 से 3 वर्ष के बच्चों में एनिमिया के वर्तमान स्तर में कमी लाना।
- बच्चो में सामान्य गंभीर एनिमिया की स्थिति में वर्तमान स्तर में कमी लाना।
- 90 प्रतिषत तक बच्चों में सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य अर्जित करना।
- आशा–सहयोगिनी के कार्यो की नियमित मोनिटरिंग एंव गृह सम्पर्क सुनिष्चित करना।
- लिंग परीक्षण निषेद्ध अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विति सुनिष्चित करना।
- महिलाओं में एनिमिया का प्रभाव वर्तमान स्तर से 50 प्रतिषत कम करना।
- महिलाओं में आई.एफ.ए. गोलियों का उपयोग तथा टिटनेस टीकाकरण का कवरेज बढाना।
- महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- किषोरी बालिकाओं को जीवन चक्र पद्धति के आधार पर विभिन्न विषयों की जानकारी देना
- बाल विवाह की रोकथाम हेतु वातावरण निर्माण करना।
- महिलाओं से संबंधित मुद्दो पर वातावरण निर्माण एंव उनकी जरूरतो के प्रति समाज में जनबोध जागृत करना।

efgyk ,o cky fodkl foHkkx dk nf"V&i=
¼lefdr cky fodkl lsok dk;Øe ,o efgyk fodkl vfHkdj.k½

14-1 orZeku fLFkfr

- आई.सी.डी.एस. ब्लॉक 13
- आंगनवाड़ी केन्द्र 2387
- लाभांवितों की संख्या 238700

जिले में सम्पूर्ण विभागीय गतिविधियां बाल विकास परियेाजनाओं द्वारा सम्पादित है। इस समय प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय (कुल 11– डेगाना, मेड़ता, जायल, डीडवाना, नागौर, लाडनूं, कुचामन सिटी, परबतसर, मकराना, रिंया व मूण्डवा) पर एक परियोजना कार्यालय स्थापित है जिसका कवरेज सम्बन्धित पंचायत समिति क्षैत्र का सम्पूर्ण ग्रामीण क्षैत्र है। अब तक जिले के नगरपालिका क्षैत्रो में विभागीय सेवाओं का क्रियान्वयन नही था किन्तु वर्ष 2005–06 से जिले के सम्पूर्ण दस नगरपालिका क्षैत्रो में भी विभागीय सेवाओ का संचालन प्रारम्भ हो चुका है। जिले में दो शहरी बाल विकास परियोजनाएं जिनके मुख्यालय 1. डीडवाना (नगरिय क्षेत्र – नागौर, मूण्डवा, कुचेरा, डीडवाना व लाडनूं) तथा 2– मकराना (नगरिय क्षेत्र – मकराना, परबतसर, नावां, कुचामन सिटी व मेड़ता) में स्थापित किए गए है। इस प्रकार ग्रामीण क्षैत्र के लिए 11 व शहरी क्षैत्र हेतु 2 कुल 13 बाल विकास परियोजनाएं जिले में चल रही है।

vkxuckMh dUn & विभागीय सेवा अन्ततः आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्थानीय जन समुदाय को प्रदाय की जाती है। एक आंगनबाड़ी केन्द्र लगभग 1500 की जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है। किन्तु सम्पूर्ण जनसंख्या मे से केवल गर्भवती, धात्री महिलाए– आयुवर्ग 11 से 18 वर्ष को किशोरवय बालिकाएं तथा जन्मकाल से 6 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर रहे बच्चे विभाग के लाभान्वित वर्ग में शामिल किए जाते है। आंगनबाड़ी केन्द्र का प्रभार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया गया है जिसका चयन स्थानीय ग्राम सभा द्वारा किया जाता है पर विभाग द्वारा सुप्रशिक्षित कर केन्द्र संचालन हेतु लगाया जाता है। कार्यकर्ता की सहायतार्थ एक आंगनबाड़ी सहायिका एंव आशा–सहयोगिनी भी प्रत्येक केन्द्र पर कार्यरत होती है। आंननबाड़ी केन्द्र स्तर पर उपरोक्त सभी महिलाओं का चयन ग्राम सभा द्वारा होता है किन्तु सम्पूर्ण प्रशिक्षण निर्देश तथा मानदेय आदि विभाग द्वारा ही दिए जाते है। जिले में इस समय ग्रामीण एंव शहरी क्षैत्रो में कुल 2387 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत एंव स्थापित है।

14-2 ;kstuk vof/k gsrq y{; ,oa ikFkfedrk,a

- 0–3 वर्ष के बच्चो में अतिकुपोषण के स्तर में कमी लाना।
- 0–5 वर्ष के बच्चो में अतिकुपोषण के स्तर में कमी लाना।
- जन्म के उपरान्त 1 घण्टे के अन्तराल में स्तनपान एवं 6 माह तक केवल स्तनपान के स्तर को बढ़ाना।
- बच्चे की उम्र के 6 माह पूरे होने पर उपरी आहार देने की प्रक्रिया प्रारम्भ करना।
- नवजात एंव षिषु की पोषण एंव देखभाल पद्धतियों में सुधार लाना।

- प्रतिमाह पोषण एंव मातृ–षिषु स्वास्थ्य दिवस का नियमित आयोजन कर एच.आई. वी/एड्स आयोडिन–नमक के उपयोग की जानकारी, विटामि–ए की खुराक पिलाना एंव वातावरण निर्माण।
- अतिकुपोषित बच्चो की पहचान एंव प्रबंधन तंत्र को विकसित करना।
- सभी बच्चों को नियमित वजन लेकर वृद्धि निगरानी तालिकाओं का संधारण करना।
- पूरक पोषाहार का नियमित वितरण एवं पोषाहार के रूप में स्थानीय खाद्यान्न, सब्जियों, दालों आदि का उपयोग बढ़ाना।
- 0 से 3 वर्ष के बच्चों में एनिमिया के वर्तमान स्तर में कमी लाना।
- बच्चो में सामान्य गंभीर एनिमिया की स्थिति में वर्तमान स्तर में कमी लाना।
- 90 प्रतिषत तक बच्चों में सम्पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य अर्जित करना।
- शिषु मृत्यु दर एवं मातृ–मृत्यु दर में कमी करना।
- आषा–सहयोगिनी के कार्यो की नियमित मोनिटरिंग एंव गृह सम्पर्क सुनिष्चित करना।
- लिंग परीक्षण निषेद्ध अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विति सुनिष्चित करना।
- महिलाओं में एनिमिया का प्रभाव वर्तमान स्तर से 50 प्रतिषत कम करना।
- महिलाओं में आई.एफ.ए. गोलियों का उपयोग तथा टिटनेस टीकाकरण का कवरेज बढाना।
- महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- किषोरी बालिकाओं को जीवन चक्र पद्धति के आधार पर विभिन्न विषयों की जानकारी देना
- बाल विवाह की रोकथाम हेतु वातावरण निर्माण करना।
- महिलाओं से संबंधित मुद्दो पर वातावरण निर्माण एंव उनकी जरूरतो के प्रति समाज में जनबोध जागृत करना।

उक्त लक्ष्य मिलेनियम डवलपमेन्ट गोल एंव राज्य की स्वास्थ्य नीति में समाहित लक्ष्यों का ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किये गये हैं इन लक्ष्यों के आधार पर वार्षिक येाजना एंव पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य निर्धारित किये जावे एंव उन्हे अर्जित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधाओं, उपलब्ध संसाधनों एवं नवीन वांछित संसाधनो का भी समावेष किया गया है।

14-3 y{;k rd igqapus dh :ijs[kk ,oa j.kuhfr

14-3-1 Hkkfrd y{;ksa dk fu/kkZj.k %&

उद्देष्य पत्र में समाहित लक्ष्यों के अर्जन हेतु वर्षवार भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जायेगा। इन भौतिक लक्ष्यों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन, पूरक पोषाहार लाभार्थी, शाला पूर्व षिक्षा लाभार्थी, टीकाकरण के लाभार्थी, महिलाओं की प्रसव पूर्व एंव प्रसव उपरान्त जांच, हेम विजिट, सहयोगिनी चयन, एम.सी.एच.एन. दिवस के आयोजन के वर्तमान स्तर को बढ़ाना, अतिकुपोषित एंव कुपोषित बच्चो की संख्या का मासिक आंकलन आदि शामिल किये जा सकते है। आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या विभग द्वारा निर्धारित हैं इसमें फिलहाल कोई वृद्धि संभावित नही है। लाभान्वितों की संख्या का आंकलन क्षैत्र में उपलब्ध बच्चों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जायेगां। प्रतिमाह आंगनबाड़ी केन्द्रो से प्राप्त मासिक सूचनाओं की विवेचना के आधार पर लिंगानुपात, षिषु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, कुपोषण दर, शाला प्रवेष दर आदि संसूचको का प्रबोधन भी किया जा सकता है। आंगनबाड़ी केन्द्रो की संख्या के अनुरूप ही आषा–सहयोगिनी के भी लक्ष्य होंगे।

इसके अतिरिक्त नवीन मद में आंगनबाड़ी भवन निर्माण, परियोजना कार्यालय कम गोदाम निर्माण, शौचालय निर्माण, स्वच्छ पेयजल आदि गतिविधियों भी प्रस्तावित की जा सकती हैं यह उल्लेखनीय है कि शौचालय निर्माण एंव स्वच्छ पेयजल आदि की व्यवस्था जिला स्तर पर ही सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम एंव स्वजल धारा योजनान्तर्गत की जानी है। इस हेतु विभाग से अतिरिक्त राषि की मांग सीधे नही की जाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से की जानी है। नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु स्थानीय एजेन्सियों से चर्चा कर नवीन मुख्यालयों एवं ऐसे ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तावित किये गये जहां कि केन्द्र किराये के कच्चे भवनों मे चल रहे है। किराये के पक्के भवनों में चलने वाले/कार्यकर्ता एवं सहायिका के घर संचालित केन्द्रो को द्वितीय प्राथमिकता एंव अन्य निषुल्क भवनों को अंतिम प्राथमिकता दी गई है।

14-3-2 foHkkxh; xfrfof/k;k

1. पूरक पोषाहार :– महिला एंव बाल विकास विभाग की यह प्रथम एंव प्रधान सेवा है, जिसमें आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित होने वाले बच्चो, महिलाओ तथा किषोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है विभाग ने इस जिले में पोषाहार वितरण की व्यवस्था इस प्रकार निर्देषित की हुई हैः–

   अ) गर्भवती व धात्री महिलाए तथा किषोरी बालिकाएं – मीठे व नमकीन मुरमुरे, प्रति लाभान्वित को प्रतिदिन 125 ग्राम एवं सप्ताह के 6 दिनो हेतु एक साथ साप्ताहिक वितरण।

   ब) 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे – इस लाभान्वित वर्ग को बेबीमिक्स पोषाहार प्रति बच्चा 75 ग्राम प्रतिदिन की दर से सप्ताह के 6 दिनो का एक साथ वितरण किया जाता है।

   स) 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चे :– इस वर्ग के बच्चे प्रतिदिन केन्द्र के प्रायिक समय पर उपसिथत होते है। विभाग की नवीनतम व्यवस्था अनुसार इन्हे दलिया एंव खिचड़ी के रूप में गरम पोषाहार बनाकर केन्द्र पर ही उपलब्ध कराया जाता है। गरम पोषाहार के लिए सामग्री कय आदि की व्यवस्थार्थ लाभान्वित वर्ग की माताओ में से एक मातृ समिति गठित की गई है। सामग्री उपलब्ध कराने के बाद गरम भोजन पकाने परासने आदि का कार्य सहायिका व कार्यकर्ता ही देखती है।

नोट – मुरमुरे एंव बेबीमिक्स तैयार खाद्य पदार्थ है जो मक्का, गेहु, सोयाबीन, नमक, शक्कर आदि के अनुकूल सेयोजन से तैयार कर विटामिन्स, प्रोटीन्स और विविध खनिज तत्वो से स्वास्थ्योपयोगी बनाए गए है। समस्त पोषाहार लाभान्वित वर्ग को निःषुल्क उपलब्ध कराया जाता है। (विभागीय अवधारणानुसार चूंकि गर्भवती व धात्री महिलाओं को अधिक व पौष्टिक भोजन की तथा कुपोषित बच्चो व बालिकाओ को भी संतुलित पोषाहार की आवश्यकता होती है अतः विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया पोषाहार उनके लिए अधिक उपयोगी तथा कुपोषण स्थिति से उबरने में सहायक होता है) प्रत्यक लाभान्वित वर्ग से आषा की जाती है कि वे अपने घर में उपलबध दैनिक भोजन अवष्य करते होंगे किन्तु केन्द्र पर दी गई खाद्य सामग्री के उपयोग से उनका सम्पूर्ण पौष्टिक और संतुलित आहार बनेगा इसलिये इसे पूरक पोषाहार कहा गया है।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा – 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चो को गर्म पोष्टिक पूरक आहार केन्द्र पर उपस्थित रखकर ही उपलब्ध कराया जाता है। उक्त लाभान्वित वर्ग में बच्चे केन्द्र खुलने मे प्रायिक समय में सम्पूर्ण अवधि के दौरान केन्द्र पर उपस्थित रहते है जिन्हे दैनिक पोषाहार दो बार में उपलब्ध कराया जाता है। शेष समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उन्हे स्कूल पूर्व षिक्षा दी जाती है। यही विचार किया जाता है कि केन्द्र पर आने वाले बच्चे को जिस पर संतुलित पोषाहार सुलभ कराकर शारीरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाया जाए तो साथ ही इसे भावी शैक्षिक जीवन में प्रवेष की अनुकूलता भी प्रदान की जावें। बच्चो को खेल–खेल में प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। उन्हे रंगो का छोटे बड़े का आकृति का ष्षु पक्षी आदि ज्ञान उनकी रूचि अनुसार तरीके से सुलभ कराया जाता है ताकि जैसे ही प्रारम्भिक षिक्षा के लिए षिषु किसी विद्यालय में प्रवेष करें उसे ज्ञानार्जन हेतु स्कूल जाने में कोई भय न हो, षिक्षको को देखकर कोई हिचकिचाहट न हो अभिवादन, बैठने उठने के तरीके एवं स्वच्छता की आदतो से केन्द्र स्तर पर ही सुसंस्कृत कर देने का लक्ष्य स्कूल पूर्व षिक्षा में समाहित किया जाता है।
3. टीकाकरण – प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह का एक दिवस मातृ एवं षिषु दिवस लक्षित एवं सूनिष्चित किया गया हैं यह कार्यक्रम जिले के चिकित्सा विभाग के सांमजस्य से निर्धारित कियागया है। इस दिवस को स्थानीय चिकित्सा विभागीय कार्मिक (ए.एन.एम) केन्द्र पर आकर लक्षित वर्ग की महिलाओं एंव बच्चो के टीकाकरण करती है। चूंकि टीकाकरण का लक्षित वर्ग आईसीडीएस का वर्ग ही है। अतः इस महत्वपूर्ण सेवा के लिए चिकित्सा विभाग को एक अधिकृत मंच मिलता है। इसे विभाग के कार्मिक को घर–घर घूमना नही पड़ता बल्कि सम्पूर्ण बच्चे व महिलाएं उन्हे टीकाकरण सामयिक है केन्द्र पर उपस्थित मिलते है। केन्द्र पर कार्यरत सहयोगिनी इसमें येागदान करती है। और प्रयास व सूचित कर प्रत्येक वांछित महिला बच्चे को केन्द्र पर टीकाकरण हेतु उपस्थित रखती है।
4. पोषण एंव स्वास्थ्य षिक्षा :– केन्द्र पर उपस्थित महिलाओं व बच्चो को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम द्वारा संतुलित भोजन, मौसमी बीमारियों एवं स्वास्थ्य के सही रख–रखाव पर सामान्य जानकारी दी जाती है।
5. स्वास्थ्य जांचः– मातृ एंव षिषु स्वास्थ्य दिवस पर उपस्थित होने वाले लाभान्वित वर्ग की जांच चिकित्सा विभागीय कार्मिक से करवाई जाती है। यदि स्वास्थ्य मानको के अनुसार कोई बच्चा कुपोषित प्रतीत होता है तो उसे तुरंत केन्द्र की गतिविधयों से सम्बद्ध किया जाता है। इसी प्रकार महिला के गर्भवती होने का पता होने पर उसे केन्द्र की पोषाहार गतिविधि हेतु एंव टीकाकरण हेतु पंजीकृत किया जाता है।

6. संदर्भ सेवाएः– यदि कोई कुपोषित लाभान्वित पूरक पोषाहार उपरान्त भी सामान्य वजन श्रेणी में नही आता तो उसे तत्काल चिकित्सकीय उपचार की सलाह के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा नजदीकी चिकित्सा अधिकारी को भिजवाया जाता है। इसके लिए आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा अग्रेसित किए जाने की प्रमाण स्वरूप एक स्लिप दी जाती है। चिकित्सा अधिकारी इस प्रकार के आंगनबाड़ी केन्द्र संदर्भ प्रकरण पर विशेष ध्यान देते है।

14-3-3 foŸkh; ekx%&

राज्य आयोजना मद के अंतर्गत मुख्य रूप से लाभान्वितों को पूरक पोषाहार, सहयेागिनियों को मानदेय तथा आंगनबाड़ी भवन/परियोजना कार्यालय भवन आदि निर्माण गतिविधियां प्रस्तावित की जाती है। पूरक पोषाहार की राशि की गणना 0–3 वर्ष के बच्चो के लिए प्रति लाभान्वित 500/– प्रतिवर्ष के आधार पर, गर्भवती एंव धात्री माताओं के लिए 780/– प्रतिवर्ष प्रति लाभान्वित के आधार पर तथा 3–6 वर्ष के बच्चों के लिए गरम पोषाहार की राषि गणना 600/– प्रतिवर्ष प्रति लाभान्वित के आधार परश्व खाद्य कार्यक्रम क्षैत्रो में राषि की गणना 200 प्रति लाभार्थी प्रतिवर्ष के आधार पर की गई है। विभाग द्वारा जो सीलिंग इन गतिविधियों के लिए दर्षाई जा रही है, वह औसतन 100 लाभान्वितो के आधार पर ही परिकल्पित की गई है। वास्तविक उपस्थिति के अनुसार इस राषि में अनुपातिक कमी संभावित है। पूरक पोषाहार की कुल राषि में से आधी राषि की मांग केन्द्रीय प्रवर्तित येाजना मद में की जा रही है एंव आधी राषि की मांग ही राज्य आयोजना मद में की जा रही है।

सहयेागिनी के मानदेय हेतु 500/– प्रतिमाह की दर निर्धारित है। इसके अतिरिक्त 50 रूपये प्रति त्रैमास यात्रा व्य एवं 100/– प्रतिवर्ष स्टेषनरी व्यय के आधार पर राषि की गणना की गई है। सभी पद भरे नही होने के कारण राषि में अनापतिक विभाजन राज्य स्तर से किया जा रहा है एंव ईकाई लागत 2.45 लाख रूपये रखी जा रही है। परियेाजना कार्यालय भवन निर्माण आदि गतिविधियों हेतु राजकीय भवन उपलब्ध नही होने पर ही निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये है।

केन्द्रीय प्रवर्तित येाजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो के संचालन हेतु राषि की मांग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डो के अनुसार की गई है। जिला कार्यालय एंव परियोजना कार्यालय के संचालन हेतु वेतन एंव भत्तो की राषि की गणना वास्तविक व्यय के आधार पर आनुपातिक वृद्धि करते हुए की जा रही है।इसके अतिरिक्त किशोरी शक्ति येाजना के लिए राषि की मांग 1.10 लाख रूपये प्रतिवर्ष प्रति परियेाजना के आधार पर की गई है। पूरक पोषाहार हेतु राषि का प्रावधान उपर वर्णित दिषा–निर्देषो के अनुसार किया गया है, इसमें सभी प्रकार के व्यय शामिल है। प्रयिाक्षण हेतु राषि का प्रावधान राज्य स्तर से ही किया जायेगा।

14-3-4 ;kstukof/k e djok;s tkus oky dk;ks dk fooj.k

1. पूरक पोषाहार लाभार्थी :– जिले में संचालित 2452 आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु जिला वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
2. सहयेागिनी मानदेय :– 2452 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत सहयोगिनीयों को मानदेय देने हेतु वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
3. आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणः– 70 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
4. आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन :– 2452 आंगनवाड़ी संचालन के लिए वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
5. आंनवाड़ी कल्याण कोष शेयर :– इस नवीन योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयेागिनीयों के लिए आंगनबाड़ी कल्याण कोष की स्थपना की गई है जिसमें सामूहिक बचत व बीमा खातें में उपरोक्त मानदेय कर्मियों के मानदेय से वर्ष में दो बार निर्धारित दर से कटौती की जाती है। इस कटौती राषि के अतिरिक्त राज्य सरकार 25 प्रतिशत राषि का सहयोग देती है। यह राजकीय सहयोग प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 150 रू व सहायिका/सहयोगिनि के लिए 76 रू वार्षिक घोषित किया गया है। इसके लिए वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
6. किषोरी शक्ति येाजना (KSY) : – किषोरी शक्ति योजना हेतु वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
7. साथिन मानदेयः– इस विभाग में साथिन के सम्पूर्ण जिले में 457 पद स्वीकृत है। यह पद प्रति ग्राम पंचायत मुख्यालय एक होता है। बजट सीलिंग में दी व्यवस्था अनुसार वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
8. सामूहिक विवाह अनुदान :– राज्य सरकार इस विभाग के माध्यम से सामूहिक विवाह गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से विभागीय मानदण्ड पूरे करने पर प्रति जोड़ा 5000/– रू विवाह अनुदान स्वीकृत करती है। बजट सीलिंग अनुसार वर्ष 2014–2015 में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।